भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 464
दिनांक 06 **फरवरी**, 2023

ओएनजीसी के सीएसआर फंड का उपयोग किया जाना

464 **श्री एस. कल्याणसुन्दरम**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 2028 में आयोजित होने वाले 'महामहम' नामक आगामी दक्षिण भारतीय कुंभ मेले के लिए ओएनजीसी के सीएसआर फंड का उपयोग मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण, तीर्थयात्रियों के लिए सराय और धर्मशालाओं के निर्माण, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक परिवहन, अस्पताल, पीएचसी के स्तरोन्नयन आदि जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं के उन्नयन के लिए करने की योजना बना रही है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क) और (ख) नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एक बोर्ड आधारित प्रक्रिया है और कम्पनी के बोर्ड को सीएसआर समिति की अनुशंसा के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, मंजूरी देने, निष्पादित करने और निगरानी करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में अभिज्ञात शीर्षों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उपक्रमों (पीएसयूज) द्वारा स्वास्थ्य (पोषण, स्वच्छता एवं पेयजल), शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण उन्मुखी पहलों एवं वयोवृद्धों और दिव्यांगों की देखभाल पर विशेष बल देते हुए सीएसआर कार्यकलाप किए जाते हैं।

****